राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर – 342 032

राजस्थान के समस्त सहशिक्षा व महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के

डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन के लिये विवरणिका

सत्र 2014 – 2015

संदर्भ सूची (Index)

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रवेश के लिये सामान्य दिशा निर्देश	1
2.	प्रवेश के लिये न्यूनतम योग्यताएं	4
3.	प्रवेश में प्राथमिकता श्रेणी	4
4.	प्रवेश में आरक्षण (अ) श्रेणी – A (Gen/SC/ST/OBC (Non Creamy Layer)/SBC (Non Creamy Layer) (ब) श्रेणी – B (EXS(a)/ EXS(b)/ EXS(c)/EXS(d) (For Candidates belonging to military services only as per norms) (स) श्रेणी – C (Kashmiri Migrants (KM) / Physically Handicapped (PH)) (द) श्रेणी – D (Widow/Divorce)	5
5.	स्ववित्त पोषित आधार पर प्रवेश	8
6.	शिक्षण शुल्क मुक्ति योजना	8
7.	शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी मानदण्ड	8
8.	योग्यता सूची	8
9.	प्रवेश प्रक्रिया	8
10.	सीट आवंटन पश्चात नोडल सेन्टर/आवंटित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में रिपोर्ट करने के संबंध में निर्देश	9
11.	संस्थान में उपस्थिति	11
12.	प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर में नामांकन	11
13.	छात्रावास की सुविधा एवं शुल्क	12
14.	अन्य सामान्य दिशा निर्देश	12
15.	शुल्क सारणी	14
16.	छात्रावास शुल्क	15

राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर – 342 032

राजस्थान के समस्त सहशिक्षा व महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के

डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन के लिये विवरणिका

सत्र 2014 – 2015

1. प्रवेश के लिये दिशा निर्देश :

1. ऑन लाईन आवेदन–पत्र एवं ऑप्शन फार्म भरने से पूर्व आवेदन पत्र (Application Form) एवं विकल्प पत्र (Option Form) ऑन लाईन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों के लिये दिशा निर्देश तथा इस विवरणिका में शामिल दिशा निर्देश का गहन अध्ययन करें और ऑनलाइन आवेदन–पत्र का हर कॉलम दिशा निर्देश के हर पैरा का अध्ययन करने के पश्चात् ही सावधानीपूर्वक भरें। ध्यान रहे ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने में सामान्य सी चूक आपको प्रवेश के लिए अपात्र ठहरा सकती है।
2. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवश्यक सूचनायें अपने दसवीं की अंकतालिका एवं प्रमाणपत्र के अनुसार ही भरें।
3. ऑन लाईन आवेदन–पत्र एवं ऑप्शन फार्म को अत्यन्त सावधानी पूर्वक भरकर ऑन लाईन सबमिट करें एवं उसका प्रिन्ट लें तथा एक सुपाठ्य प्रति अन्य दस्तावेजों के साथ लिफाफे में रखकर संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश एवं प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर को जमा करवायें। आवेदन–पत्र में एक भी गलत या अनुचित इन्द्राज जानबूझ कर प्रवेश में लाभ लेने की नीयत से किया हुआ माना जाएगा।
4. यदि आप सामान्य श्रेणी से भिन्न श्रेणी यथा राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, विकलांग, विधवा/परित्यक्ता, अधिसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र का निवासी, कश्मीरी विस्थापित, सैनिक/सेवानिवृत सैनिक या उनके आश्रित हैं तो उस श्रेणी से सम्बन्धित नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी दस्तावेज की सत्यापित प्रति अवश्य संलग्न करें।
5. आपके किसी श्रेणी विशेष से सम्बन्ध न रखते हुए भी या प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण–पत्र नहीं होते हुए भी आवेदन–पत्र के निर्धारित कॉलम में उस आशय का इन्द्राज करना दुर्भावना पूर्वक प्रवेश में अनुचित लाभ प्राप्त करने की नीयत से किया गया कृत्य माना जावेगा एवं जो इस प्रवेश हेतु आपकी अभ्यर्थिता को निरस्त करने का पर्याप्त आधार होगा।
6. इस प्रवेश के निमित्त राज्य सरकार व प्राविधिक शिक्षा मण्डल एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर जारी आदेश, निर्देश, आदि लागू होंगे।
7. सीट आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी को निर्धारित नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर निर्धारित तिथि तक मूल प्रमाण–पत्रों की जांच करवानी होगी एवं आंशिक शुल्क रूपये 6000/– (जिसे जमा कराने का तरीका एवं तिथियां निर्धारित वेबसाईट पर उपलब्ध होगा) जमा करवानी होगी।
8. ऑनलाईन ऑप्शन फार्म में भरे जाने वाले संस्था का नाम (Name of Institute) एवं ब्रांच का नाम (Name of Branch) **सारणी–2 Tentative Seat Matrix** में दर्शाये गये है।

9. प्रवेश सम्बन्धी नवीनतम जानकारी एवं आवश्यक सूचनाऐं विभागीय वेब साईट *http://dte.rajasthan.gov.in* पर उपलब्ध हैं।

10. डाउनलोडेड ऑनलाईन आवेदन पत्र, ऑनलाईन ऑप्शन फार्म की फोटोप्रति अपने पास भी रखें।

11. विलम्ब से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्र, ऑनलाईन ऑप्शन फार्म की हार्डकोपी एवं आवश्यक दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

12. यदि मूल अंकतालिका प्राप्त नहीं हुई है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की वेब साईट से डाउन लोड की गयी अंकतालिका की प्रति भी सत्यापन की शर्त पर जमा करवा सकते है।

13. **ऑनलाईन आवेदन पत्र एवं ऑनलाईन ऑप्शन फार्म की हार्डकॉपी के साथ निम्न प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करें :**

(i) आवेदन शुल्क रू. 300/– e-Mitra/CSC Kiosk की रसीद की प्रति

(ii) माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका की सत्यापित फोटोप्रति ।

(iii) आयु प्रमाण पत्र हेतु माध्यमिक परीक्षा का प्रमाण पत्र अथवा अंकतालिका की सत्यापित फोटोप्रति।

(iv) आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिए प्रमाण पत्र

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग एवं नॉन क्रीमी लेयर विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये सक्षम अधिकारी (जिलाधीश, उपखंड अधिकारी या तहसीलदार) द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोप्रति। इस पत्र पर **प्रेषण संख्या, दिनांक एवं कार्यालय की सील** होना आवश्यक है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उसकी जाति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध है अन्यथा उक्त आरक्षित वर्गों के लिये आरक्षित प्रवेश स्थानों पर प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा। इस प्रमाण पत्र में नाम एवं उपनाम वही होना चाहिये जो अंकतालिका में है। **अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र प्रवेश फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि से 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये।**

नोट :–

1. यदि अभ्यर्थी के पास जाति प्रमाण पत्र प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी किया हुआ है तो वह मान्य होगा अन्यथा वह परिशिष्ठ–VI में उक्त प्रमाण पत्र प्राधिकृत सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

2. प्रमाण पत्रों में नाम व उपनाम अंकतालिका से भिन्न होने की स्थिति में शपथ पत्र परिशिष्ठ–VIII में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।

(ख) सैनिक या भूतपूर्व सैनिक के आश्रित होने सम्बन्धित प्रमाण पत्र **परिशिष्ठ–V** में दिये गये प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा जिस पर **प्रेषण संख्या, दिनांक एवं कार्यालय की सील** होना आवश्यक है।

(ग) निःशक्त अभ्यर्थी के राजकीय आर्थोपेडिक सर्जन अथवा मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोप्रति।

(घ) विधवा महिला के लिए पति के देहान्त का प्रमाण पत्र या स्वयं का शपथ पत्र तथा तलाकशुदा महिला के लिए सक्षम न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि ।

(ड़) अभिभावक के नवीनतम आय प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोप्रति ।

14. प्रवेश मेरिट के आधार पर होंगे। संस्था एवं ब्रांच का आवंटन ऑनलाईन ऑप्शन फार्म में अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्पों के वरीयता क्रम में कम्प्यूटर द्वारा संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश एवं प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर द्वारा किया जावेगा, परन्तु कश्मीरी विस्थापित, निःशक्तजन व भूतपूर्व सैनिक केटेगरी के योग्य अभ्यर्थियों को सीट आवंटन **व्यक्तिगत साक्षात्कार** द्वारा **संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश एवं प्रधानाचार्य, राजकीय**

पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर द्वारा किया जावेगा। **इसके लिये अलग से साक्षात्कार पत्र जारी नहीं किये जायेंगे।**

15. संस्था एवं ब्रांच के आवंटन की सूचना विभागीय वेबसाईट **www.dte.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी।
16. सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी आंशिक शुल्क राशि रूपये **6000/–** (जिसे जमा कराने का तरीका एवं तिथियां निर्धारित वेबसाईट पर उपलब्ध होगा) की प्रति एवं समस्त मूल प्रमाण–पत्र के साथ निर्धारित नोडल सेन्टर पर घोषित अंतिम तिथि तक उपस्थित होगें। शेष शुल्क निर्धारित तिथि को आवंटित कॉलेज में जमा करायेगें। नोडल सेन्टर की सूची तथा निर्धारित बैंक की निर्धारित शाखाओं की सूची विभागीय बेब साइट पर उपलब्ध रहेगी।
17. **प्रवेश हेतु मांगी गयी सभी सूचनाएं, मूल प्रमाण पत्र एवं शुल्क आदि प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश सम्भव होगा।**
18. डॉ. आर.के. राघवन की अध्यक्षता में गठित कमेटी एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.05.2007 की क्रियान्विन्ति के आदेशानुसार **रैगिंग लेना कानूनन अपराध है।** यदि कोई भी छात्र/छात्रा संस्थान, संस्थान प्रांगण, छात्रावास एवं संस्थान के बाहर रैगिंग लेते हुए पाया जाता है तो उनके विरूद्ध कड़ी कानूनी एवं कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिये सम्बन्धित प्रधानाचार्यों द्वारा undertaking प्राप्त की जायेगी। साथ ही ऐसे छात्र/छात्राओं को संस्थान से निष्कासित करते हुए नामांकन भी निरस्त कर दिया जायेगा।
19. नियमित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की अवधि तीन वर्ष तथा सैण्डविच पाठ्यक्रमों की अवधि साढ़े तीन वर्ष की है । नये अभ्यर्थियों का नामांकन प्राविधिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रथम वर्ष हेतु किया जायेगा।
20. **पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के विभिन्न इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की निर्धारित प्रवेश क्षमता की अन्तरिम सूची सारणी–2 में दी गई है। इन प्रवेश स्थानों की संख्या में बिना पूर्व सूचना के कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है । सत्र 2014–15 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा जारी अनुमोदित संस्थानों, ब्रान्च व उनकी प्रवेश क्षमता के अनुसार ही प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश स्थानों की नवीनतम जानकारी विभाग की वेब साईट पर उपलब्ध रहेगी। ऑनलाईन ऑप्शन फार्म में संस्था व ब्रान्च का कोड भरने से पूर्व अभ्यर्थी विभागीय वेबसाईट पर नवीनतम जानकारी वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन पत्र ऑन होने तक प्राप्त कर ही ऑनलाईन ऑप्शन फार्म में प्रविष्टियां करें।**
21. पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के प्रवेश ''प्रथम वर्ष में वार्षिक प्रणाली'' के अन्तर्गत किये जायेंगे ।
22. **नॉन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश :**

    (i) राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय – जयपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, सांगानेर (जयपुर), कोटा, भरतपुर, राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय पाली एवं निजी जन सहभागिता योजना अर्न्तगत निजी महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय यथा श्री देवी वूमन पॉलिटेक्निक कॉलेज, अबोहर रोड़, हनुमानगढ के **नॉन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबन्धित प्रधानाचार्य (जहाँ पर छात्र/छात्रा प्रवेश चाहता/चाहती है) द्वारा किये जायेगे।**

    (ii) इन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के प्रवेश के लिये अभ्यर्थी उपरोक्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है । आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर संबन्धित पॉलिटेक्निक **(जहाँ पर छात्र/छात्रा प्रवेश चाहता/चाहती है)** को निर्धारित अन्तिम तिथि तक जमा कराना आवश्यक होगा।

    (iii) प्रवेश मेरिट के आधार पर होंगे । साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को मय शुल्क व मूल प्रमाण पत्र संबन्धित पॉलिटेक्निक **(जहाँ पर छात्र/छात्रा प्रवेश चाहता/चाहती है)** में व्यक्तिगत रूप से निर्धारित तिथि को उपस्थित होना होगा।

(iv) प्रवेश स्थानों की नवीनतम जानकारी विभाग की वेब साईट पर देखी जा सकती है। इन स्थानों की संख्या में बिना पूर्व सूचना के कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है ।

23. **किसी भी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की किसी ब्रांच में प्रवेश हो जाने के पश्चात द्वितीय वर्ष में स्थानान्तरण विभाग द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार किया जाना संभव होगा –**

(i) समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में द्वितीय वर्ष में ब्रांच परिवर्तन छात्र/छात्रा के प्रथम वर्ष के **सभी विषयों में उत्तीर्ण** होने एवं **स्थान रिक्त होने पर** संभव होंगे। स्वःवित्त पोषित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों का ब्रान्च परिवर्तन उसी संस्थान के स्वःवित्त पोषित पाठ्यक्रम में किया जा सकेगा। ये ब्रांच परिवर्तन संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात निर्धारित तिथि तक किये जावेंगे तथा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा द्वारा अनुमोदित होने पर ही मान्य होंगे।

(ii) द्वितीय वर्ष में ब्रांच परिवर्तन एवं अन्य संस्था में स्थानान्तरण दोनों साथ–साथ नहीं होंगे।

(iii) केवल राजकीय पॉलिटेक्निक के राज्य पोषित पाठ्यक्रमो में अध्ययनरत विद्यार्थियों के द्वितीय/तृतीय वर्ष में अन्य राजकीय पॉलिटेक्निक में स्थानान्तरण, उसी ब्रांच में **स्थान रिक्त होने पर** संभव होंगे।

(iv) निजी व निजी जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत संस्थानो में अध्ययनरत विद्यार्थियों का स्थानान्तरण अन्य किसी पॉलिटेक्निक में **सम्भव नहीं** होगा।

(v) स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों का स्थानान्तरण अन्य किसी पॉलिटेक्निक में सम्भव नहीं होगा।

2. प्रवेश के लिये न्यूनतम योग्यताएं :

1. अभ्यर्थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में (विज्ञान एवं गणित विषयों में अलग–अलग उत्तीर्ण होते हुए) न्यूनतम 35 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। **सी.बी.एस.ई. के विद्यार्थी अंकतालिका में ग्रेड के साथ प्राप्तांक भी प्राप्त कर ऑनलाईन आवेदन पत्र सबमिट करें।** अभ्यर्थी द्वारा पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं अंक सुधार की स्थिति में प्राप्त अंको के आधार पर योग्यता का निर्धारण किया जावेगा।
2. **आयु सीमा : प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की कोई आयु सीमा नहीं है।**

नोटः– समकक्ष परीक्षा में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षाएं ही मान्य होगी।

3. प्रवेश में प्राथमिकता (Preferential categories) :

1. निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जावेगी –

– जिन अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान/ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा राजस्थान में स्थित किसी स्कूल से नियमित अध्ययन कर उत्तीर्ण की हो ।

अथवा

– अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो ।

अथवा

– अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के कर्मचारी की संतान / पत्नी हो ।

अथवा

– अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के बोर्ड , कार्पोरेशन, विश्वविद्यालय तथा भारत सरकार या उसके उपक्रम के कर्मचारी की सन्तान/पत्नी जिनका पदस्थापन राजस्थान मे स्थित कार्यालय मे हो ।

2. यदि उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के बाद भी प्रवेश स्थान रिक्त रहते हैं, तो अन्य अभ्यर्थियों को योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा ।

4. प्रवेश में आरक्षण :

Category - A:

राज्य के **सभी** तकनीकी शिक्षण संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश में आरक्षण की सुविधा निम्नानुसार होगी :

विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु : प्रत्येक संस्था की **कुल प्रवेश क्षमता पर 1 प्रतिशत आरक्षण विशेष पिछड़ा वर्ग** को दिया जावेगा। गणना से जो सीटें निर्धारित होती है वे आवेदन पत्र की सारणी के उल्लेखित उस संस्था की पहले अंकित शाखाओं को 1–1 सीट देंगे। इसी क्रम में शेष शाखाओं पर 1–1 सीट अगले वर्ष में प्रवेश दिया जावेगा। **इस प्रकार संयोजक केन्द्रीय प्रवेश / संबंधित महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शाखा–वार रोस्टर का निर्धारण कर प्रवेश करेंगे।**

जिन शाखाओं में विशेष पिछड़ा वर्ग को 1 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है वहां पर प्रवेश क्षमता के अनुसार सह–शिक्षा, महिला एवं निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सारणी क्रमशः 1(अ), 1(ब) एवं 1(स) के अनुसार प्रवेश दिये जावेंगे।

सारणी–1(अ) सहशिक्षा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हेतु :

पाठ्यक्रम की निर्धारित प्रवेश क्षमता	अनुसूचित जाति (SC) 16%		अनुसूचित जनजाति (ST) 12%@		नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer OBC)* 21%		विशेष पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer SBC)* 1%		सामान्य अभ्यर्थी (General)	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
20	02	01	01	01	03	01	01	--	08	02
30	04	01	02	01	04	02	01	--	11	04
40	04	02	04	01	06	02	01	--	16	04
60	08	02	05	02	09	03	01	--	22	08

सारणी–1(ब) महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हेतु :

पाठ्यक्रम की निर्धारित क्षमता	अनुसूचित जाति (SC) 16%	अनुसूचित जन जाति (ST) 12%@	नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer OBC) * 21%	विशेष पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer SBC)* 1%	सामान्य अभ्यर्थी (General)
20	3	2	4	1	10
30	5	3	6	1	15
40	6	5	8	1	20
60	10	07	12	1	30

सारणी–1(स) निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हेतु :

पाठ्यक्रम की निर्धारित प्रवेश क्षमता	अनुसूचित जाति (SC) 16%		अनुसूचित जनजाति (ST) 12%@		नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer OBC)* 21%		विशेष पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer SBC)* 1%		सामान्य अभ्यर्थी (General)		मैनेजमेन्ट सीट (संस्था स्तर पर प्रवेश)
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	
60 (51+9)	06	02	04	02	08	03	01	---	19	06	9

* इस हेतु निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट – VI में अंडरटेकिंग देनी होगी

जिन शाखाओं में इस सत्र हेतु विशेष पिछड़ा वर्ग को 1 प्रतिशत आरक्षण नहीं है। वहां पर प्रवेश क्षमता के अनुसार सह–शिक्षा, महिला एवं निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सारणी क्रमशः 1(क), 1(ख) एवं 1(ग) के अनुसार प्रवेश दिये जावेंगे।

सारणी–1(क) सहशिक्षा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हेतु :

पाठ्यक्रम की निर्धारित प्रवेश क्षमता	अनुसूचित जाति (SC) 16%		अनुसूचित जनजाति (ST) 12% @		नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer OBC)* 21%		सामान्य अभ्यर्थी (General)	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
20	02	01	01	01	03	01	08	03
30	04	01	03	01	04	02	11	04
40	04	02	04	01	06	02	16	05
60	08	02	05	02	10	03	22	08

सारणी–1(ख) महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हेतु :

पाठ्यक्रम की निर्धारित क्षमता	अनुसूचित जाति (SC) 16%	अनुसूचित जन जाति (ST) 12%@	नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer OBC) * 21%	सामान्य अभ्यर्थी (General)
20	3	2	4	11
30	5	4	6	15
40	6	5	8	21
60	10	07	13	30

सारणी–1(ग) निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हेतु :

पाठ्यक्रम की निर्धारित प्रवेश क्षमता	अनुसूचित जाति (SC) 16%		अनुसूचित जनजाति (ST) 12% @		नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer OBC)* 21%		सामान्य अभ्यर्थी (General)		मैनेजमेन्ट सीट (संस्था स्तर पर प्रवेश)
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	
60	06	02	04	02	08	03	19	07	9

* इस हेतु निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट – VI में अंडरटेकिंग देनी होगी

@ राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(6)त.शि./1999 जयपुर दिनांक 15 सितम्बर, 2011 के द्वारा राज्य की सभी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में अधिसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के 5 जिले यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर एवं सिरोही जिले के अधिसूचित भाग को सम्मिलित करते हुए इन क्षेत्रों में स्थित सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में उपयोजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के युवाओं को पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों में निर्धारित 12 प्रतिशत का 45 प्रतिशत आरक्षण को सम्पूर्ण राज्य में स्थित पॉलिटेक्निक संस्थानों में ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा स्वीकृत प्रवेश स्थानों पर लागू होगा। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिये निर्धारित 12 प्रतिशत की सीमा के अध्याधीन ही देय होगा तथा प्रवेश स्थान रिक्त रहने पर अन्य क्षैत्रों के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरे जा सकेगें।

Category - B:

रक्षा कार्मिकों हेतु आरक्षण

राजस्थान सरकार द्वारा अपने आदेश कमांक प.1(47)त.शि./2007 दिनांक 18.03.08 के क्रम में रक्षा कार्मिकों हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) का प्रावधान किया गया हैं। जिसमें निम्न वरियता अनुसार प्रवेश दिया जायेगा : **(Appendix- V)**

(i) Category of defence persons for priority will be as follows:-

EXS(a) - Killed in Action.

EXS(b) - Disabled in action and boarded out from service / Died while in service with death attributable to mil service / Disabled in service and boarded out with disability attributable to mil service.

EXS(c) - Gallantry Award Winners.

EXS(d) - Ex-Servicemen.

(ii) The domicile requirement for the wards of the Defence personnel from the State of Rajasthan but serving in other State is waived off. For wards of Defence personnel from other States but serving in the State of Rajasthan, the domicile condition is waived off to enable them to be selected in general quota.However, they would not be eligible for the above mentioned concessions.

(iii) 50% of the reserved seats will be earmarked for the girls. In case of non-utilisation by girls, the unutilized vacancies would revert back to the boys category.

नोट :– गेलेन्टरी अवार्ड विजेता के अलावा शेष सभी सेवारत रक्षा कार्मिकों के पुत्र/पुत्रियों को, रक्षा कार्मिकों हेतु क्षैतिज आरक्षण का लाभ देय नहीं है।

Category - C:

राज्य के **सभी** तकनीकी संस्थानों में निःशक्त अभ्यर्थियों (PH) के उपलब्ध होने पर उनको प्रवेश क्षमता के 3 प्रतिशत स्थानों पर योग्यता के आधार पर दिये जायेगे। ये स्थान जिस श्रेणी का अभ्यर्थी है उसी श्रेणी से सारणी–1 में दर्शाये गये प्रवेश स्थानों में से क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अनुसार भरे जायेंगे। उक्त आरक्षण का लाभ वे समस्त निःशक्तजन ले सकेंगे जो पाठ्यक्रम के अनुरूप संबद्ध व्यवहारिक प्रशिक्षण की अर्हताएं भी पूरी करते हों। निःशक्त अभ्यर्थी पाठ्यक्रम के अनुरूप संबद्ध व्यवहारिक प्रशिक्षण की अर्हताएं पूरी करता है अथवा नहीं, तथा वह किस ब्रान्च के योग्य है, इसका निर्णय संस्था स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। प्रवेश के संबंध में संयोजक, प्रवेश कमेटी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

Kashimiri Migrants Category (KM) : 5% of total intake capacity over and above the sanctioned strength in each of the institutions will be reserved for Kashmiri migrants. Sons/ Daughters of displaced persons from Jammu & Kashmir shall be eligible for admission to Diploma Courses. The candidate has to submit a certificate from the competent authority as a proof of being son/daughter of displaced persons from Jammu & Kashmir.

Category - D:

निर्धारित महिला अभ्यर्थियों के स्थानों में से 50 प्रतिशत स्थान विधवा और तलाक शुदा महिलाओं से भरे जायेंगे, जिनके उपलब्ध न होने पर ये स्थान उसी वर्ग में से अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे ।

नोट :–

1. उपरोक्त सभी श्रेणियों के लिए पहले महिला अभ्यर्थियों से, महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी से भरे जायेंगे । उपरोक्त में से किसी श्रेणी हेतु आरक्षित स्थानों पर योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी से भरे जायेंगे ।

1- बीएसएफ, सीआरपी व अन्य पुलिस कर्मियों की सन्तानों के लिये आरक्षण नहीं है । जनरल रिजर्व इन्जीनियरिंग फोर्स को सैनिक बल माना जायेगा ।

5. स्ववित्त पोषित आधार पर प्रवेश :

राज्य के राजकीय संस्थानों में स्ववित्त पोषित आधार पर भी प्रवेश **सारणी– 2** के अनुसार दिये जायेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित फीस (सारणी–3 के अनुसार) जमा करवानी होगी।

6. शिक्षण शुल्क मुक्ति योजना (Tuition Fee Waiver Scheme) :

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक संस्थान में उपलब्ध पाठ्यक्रमों में नियमानुसार 5 प्रतिशत अतिरिक्त स्थानों पर प्रवेश आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को दिया जायेगा। इस योजनान्तर्गत अभ्यर्थियों को सारणी–3 (क्रम सं 2) में दर्शाये गये शिक्षण शुल्क की छूट प्रदान की जायेगी। आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों के अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 4.50 लाख से कम होनी चाहिये। जिसका प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हो, डाउनलोड आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। इसके अभाव में TFWS योजनान्तर्गत आवंटन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। **इस योजना के अन्तर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को किसी भी स्थिति में प्रवेश के पश्चात् संस्था/ब्रान्च में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जावेगी।**

7. शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी मानदण्ड :

प्रवेश का इच्छुक अभ्यर्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये। (परिशिष्ठ – I के अनुसार)

8. योग्यता सूची :

1. प्रवेश योग्यता के आधार पर होगा । योग्यता सूची अभ्यर्थी द्वारा माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों की प्रतिशतता के आधार पर बनाई जावेगी ।

   जिन अभ्यर्थी ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/काउन्सिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (C.I.S.C.) से दसवीं परीक्षा पास की है, उसकी अंक तालिका में अंकित सभी विषयों के योग के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रमांक निर्धारित किया जायेगा।
2. पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण होने एवं अंक सुधार की स्थिति में अभ्यर्थी के योग्यता क्रमांक का निर्धारण माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर किया जायेगा।
3. अगर एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक प्रतिशत बराबर हो तब माध्यमिक परीक्षा के गणित विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी । अगर वे अंक भी बराबर हो, तो विज्ञान में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी । फिर भी अंक बराबर पाये जाने पर पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी ।

9. प्रवेश प्रक्रिया :

(क) केन्द्रीय विधि से संयोजक द्वारा मेरिट के आधार पर प्रवेश किया जायेगा। अभ्यर्थियों को संस्था एवं ब्रान्च की प्राथमिकता ऑनलाईन ऑप्शन फार्म में देनी होगी।

(ख) प्रवेश योग्यता के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन ऑप्शन फार्म में भरे गये वर्णित संस्थान तथा ब्रांच के विकल्पों के आधार पर कम्प्यूटर द्वारा किया जायेगा।

(ग) प्रवेश की सूचना महाविद्यालय की वेबसाईट के साथ–साथ विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध करवायी जायेगी।

(घ) ऑनलाईन ऑप्शन फार्म के विकल्प के अनुसार आवंटित संस्था तथा ब्रांच में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतया अन्तरिम (Provisional) होगा।

(ड़) अभ्यर्थी को निर्धारित नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर निर्धारित तिथि तक मूल प्रमाण–पत्रों की जांच करवानी होगी एवं आंशिक शुल्क रूपये 6000/– (जिसे जमा कराने का तरीका एवं तिथियां निर्धारित वेबसाईट पर उपलब्ध होगा)

की प्रति जमा करवानी होगी। अन्यथा उसका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा उस स्थान को रिक्त स्थानों में सम्मिलित कर लिया जायेगा। Document verfication के समय उचित दस्तावेज के अभाव में यदि अभ्यर्थी का rejection होता हैं, तो उसे अतिरिक्त अवसर देने के लिये द्वितीय आवंटन में संयोजक को प्रार्थना पत्र एवं सही दस्तावेज व्यक्तिशः प्रस्तुत करने पर शेष रहे स्थानों पर सम्मिलित किया जा सकेगा।

(च) रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिये पूर्व प्रवेशित अभ्यर्थियों से उच्च विकल्पों पर **रि–शफलिंग** (Reshuffling) हेतु सहमति पत्र निर्धारित नोडल सेन्टर पर निर्धारित तिथि तक प्राप्त किये जायेगें। जो अभ्यर्थी उच्च विकल्प पर जाने हेतु अपनी सहमति नहीं देता/देती है उन्हे इस प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(छ) रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु, योग्यता सूची में प्रवेश नहीं पाने वाले उपलब्ध अभ्यर्थियों एंव रि–शफलिंग हेतु निर्धारित नोडल सेन्टर पर **आवेदन** करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर कम्प्यूटर द्वारा पुनः प्रवेश हेतु आवंटन किया जायेगा।

(ज) **द्वितीय आवंटन में सीधे प्रवेशित अभ्यर्थी निर्धारित नोडल सेन्टर पर निर्धारित तिथि तक उपस्थित होकर रूपये आंशिक शुल्क रू. 6000/– (जिसे जमा कराने का तरीका एवं तिथियां निर्धारित वेबसाईट पर उपलब्ध होगा) की प्रति जमा करा कर मूल प्रमाण पत्रों की जॉच कराएगें तथा इसके पश्चात निर्धारित तिथियां तक आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होकर समस्त वांछित मूल प्रमाण पत्र व शेष शुल्क राशि नगद जमा करवाएंगे।**

अपवर्ड मूवमेन्ट के पश्चात् उच्च विकल्पों पर प्रवेशित अभ्यर्थियों को निर्धारित नोडल सेन्टर पर निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट करना होगा। इसके पश्चात अंतिम आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित तिथि तक उपस्थित होकर समस्त वांछित मूल प्रमाण पत्र व शेष शुल्क राशि नगद जमा करवानी होगी।

प्रथम आवंटन में प्रवेशित जिन अभ्यर्थियों ने अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु सहमति पत्र नहीं भरा है अथवा अपवर्ड मूवमेन्ट के पश्चात् आवंटन यथावत रहा है वे सभी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होकर समस्त वांछित मूल प्रमाण पत्र व शेष शुल्क (सारणी–3 के अनुसार) राशि नगद जमा करवाएंगे। इससे पूर्व आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं करना है।

यदि राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा शुल्क में परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी सूचना विभागीय वेबसाईट/नोडल सेन्टर पर उपलब्ध रहेगी, तदनुसार अभ्यर्थी को नवीन शुल्क के अनुसार शेष शुल्क आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित तिथियों को जमा कराना होगा

(झ) **कश्मीरी विस्थापित, निशक्तःजन व भूतपूर्व सैनिक केटेगरी के अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिये साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि को प्रधानाचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर के समक्ष स्वयं उपस्थित होना आवश्यक है।** अभ्यर्थी अपने साथ में समस्त मूल प्रमाण–पत्र व उनकी एक सत्यापित फोटो प्रति तथा सम्पूर्ण शुल्क साथ में लायेंगे। संस्थान व ब्रान्च का आवंटन योग्यता सूची अनुसार **व्यक्तिगत साक्षात्कार** के द्वारा ही किया जायेगा। **इसके लिये अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जायेगा।**

10. सीट आवंटन पश्चात नोडल सेन्टर/आवंटित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में रिपोर्ट करने के संबंध में निर्देश :

(क) **सीट आवंटन पश्चात्** निर्धारित नोडल सेन्टर पर **निम्न मूल प्रमाण पत्रों की जॉच करानी होगी तथा अंतिम आवंटित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में निर्धारित तिथि तक निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र जमा करवानें होंगे :–**

1. माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा की **अंकतालिका** ।
2. **आयु प्रमाण पत्र**

जन्मतिथि हेतु माध्यमिक परीक्षा का प्रमाण पत्र अथवा अंकतालिका ही मान्य होगी । इन प्रमाण पत्रों में जन्मतिथि अंकित न होने पर प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में प्रवेश संयोजक का निर्णय अन्तिम होगा।

3. **आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिए प्रमाण पत्र**

(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग एवं नॉन क्रीमी लेयर विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये सक्षम अधिकारी (जिलाधीश, उपखंड अधिकारी या तहसीलदार) द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र लाना होगा। इस पत्र पर **प्रेषण संख्या, दिनांक एवं कार्यालय की सील** होना आवश्यक है। अभ्यर्थी यह देख ले कि उसकी जाति राज्य सरकार द्वारा प्रसारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की सूची में अधिसूचित है जिसके न होने पर प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा । इस प्रमाण पत्र में नाम एवं उपनाम वही होना चाहिये जो कि अंकतालिका में है। किसी भी स्थिति मे **अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र प्रवेश फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि से 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हों। अन्यथा यह इन वर्गों में प्रवेश हेतु आरक्षण के लिये मान्य नहीं होगा।**

नोट :– 1. यदि अभ्यर्थी के पास जाति प्रमाण पत्र प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी किया हुआ है तो वह मान्य होगा अन्यथा वह परिशिष्ठ–VI में उक्त प्रमाण पत्र प्राधिकृत सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

2. प्रमाण पत्रों में नाम व उपनाम अंकतालिका से भिन्न होने की स्थिति में शपथ पत्र परिशिष्ठ–VIII में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।

(ii) सैनिक या भूतपूर्व सैनिक के आश्रित होने सम्बन्धित प्रमाण पत्र **परिशिष्ठ–V** में दिये गये प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा जिस पर **प्रेषण संख्या, दिनांक एवं कार्यालय की सील** होना आवश्यक है।

(iii) निःशक्त अभ्यर्थी का राजकीय आर्थोपेडिक सर्जन अथवा मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।

(iv) विधवा महिला के लिए पति के देहान्त का प्रमाण पत्र या स्वयं का शपथ पत्र तथा तलाकशुदा महिला के लिए न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि ।

4. **प्राथमिकता के लिए प्रमाण पत्र**

यदि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से माध्यमिक परीक्षा या सी.बी.एस.ई. सैकेण्डरी परीक्षा राजस्थान में स्थित किसी परीक्षा केन्द्र से उत्तीर्ण नहीं की हो तो वह प्राथमिकता के लिए निम्नलिखित में से एक प्रमाण पत्र (जो लागू होता है) प्रस्तुत करें :

(i) राजस्थान के मूल निवासी होने का जिला दण्डनायक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र ।

(ii) राजस्थान सरकार के कर्मचारी की सन्तान/पत्नी होने सम्बन्धी विभागाध्यक्ष/राजपत्रित नियन्त्रक अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र ।

(iii) राज्य के बोर्ड, कार्पोरेशन, विश्वविद्यालय या केन्द्रीय सरकार या उसके उपक्रमों के राजस्थान में स्थित कार्यालय के कर्मचारी की सन्तान/पत्नी होने सम्बन्धी विभागाध्यक्ष/राजपत्रित नियन्त्रक अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र ।

5. **मेडिकल प्रमाण–पत्र**–निर्धारित प्रपत्र में राजकीय चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित (**यह प्रमाण–पत्र आवंटित संस्था में जमा कराना है।)**

(ख) **शुल्क**

सीट–आवंटन पश्चात् अभ्यर्थी सारणी–3 में अंकित शुल्क में से केवल आंशिक शुल्क राशि रू. 6000/– (जिसे जमा कराने का तरीका एवं तिथियां निर्धारित वेबसाईट पर उपलब्ध होगा) की **प्रति नोडल सेन्टर पर रिपोर्टिंग के समय जमा करवायेगें** । शेष शुल्क सभी अभ्यर्थी अपने अंतिम आवंटित महाविद्यालय में जमा कराएंगे। शिक्षण शुल्क में छूट के हकदार अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही छूट मिल सकेगी ।

*नोट :– राजस्थान सरकार के ही कर्मचारियों के पुत्र/भाई जो पूर्ण रूप से उन राज्य कर्मचारियों पर आश्रित हैं, जिनके द्वारा कोई आयकर नहीं दिया जाता है तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है । (परिशिष्ठ–**II** में वर्णित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा) । प्रमाण पत्र की जांच के बाद प्रधानाचार्य, उस पर उचित आदेश प्रदान करेंगे । उक्त सुविधा केवल राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के राज्य पोषित पाठ्यक्रमों में ही उपलब्ध होगी।*

(ग) प्रवेश लेने के बाद यदि विद्यार्थी किसी कारणवश अध्ययन जारी नहीं कर पाता/पाती है तो उसका प्रवेश रद्द करके संस्था से नाम काटकर अवधान द्रव्य (Caution Money) एवं मूल प्रमाण–पत्र संबंधित संस्था द्वारा लौटा दिये जायेंगे तथा शेष शुल्क लौटाने के संबंध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(घ) प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों की मूल अंकतालिका (जिसके आधार पर उसने प्रवेश प्राप्त किया है) तथा आयु प्रमाण पत्र जमा कर लिये जायेंगे । ये प्रमाण पत्र छात्र / छात्रा द्वारा प्रथम वर्ष की परीक्षा के बाद, प्रधानाचार्य से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

11. संस्थान में उपस्थिति :

(क) प्रवेश प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि पर अपने पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जहां प्रवेश मिला है, उपस्थिति देनी होगी ।

(ख) उक्त निर्धारित तिथि से अभ्यर्थी की उपस्थिति (Attendance) प्रारम्भ हो जावेगी ।

12. प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर में नामांकन :

1. राज्य की सभी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षायें प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर द्वारा करवाई जाती है ।
2. पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् प्रत्येक अभ्यर्थी को मण्डल में नामांकन करवाने हेतु नामांकन प्रपत्र जमा कराना होगा तथा प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) जमा करवाना होगा ।
3. नामांकन के समय प्रव्रजन प्रमाण पत्र न जमा करा पाने की स्थिति में अभ्यर्थियों को **परिशिष्ट–VII** के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
4. पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित होने की तिथि के 30 दिनों की अवधि के अन्दर प्रव्रजन प्रमाण पत्र संस्थान में जमा न करवाने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त हो जाने के फलस्वरूप प्रधानाचार्य द्वारा ऐसे अभ्यर्थी का नाम संस्थान से स्थायी रूप से हटा दिया जायेगा ।
5. मण्डल द्वारा अभ्यर्थी का नामांकन कर उसे नामांकन संख्या दी जायेगी ।
6. मण्डल में नामांकन के उपरान्त अभ्यर्थी का मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र, जिस के आधार पर मण्डल में नामांकन किया गया है, वापिस नहीं लौटाया जायेगा ।
7. मण्डल में नामांकन हेतु नामांकन प्रपत्र भरने के उपरान्त अभ्यर्थी डिप्लोमा उतीर्ण करने के पूर्व ही जब भी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय छोड़कर अन्यत्र अध्ययन हेतु जाता/जाती है तो उसके द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाने पर मण्डल द्वारा प्रव्रजन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा ।
8. अभ्यर्थी प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर से नामांकित रहते हुए किसी अन्य मण्डल या विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे और न ही किसी अन्य विश्वविद्यालय में नामांकन रख सकेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो उसका सम्बन्धित

पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से प्रवेश अविलम्ब निरस्त कर मण्डल से उसका नामांकन निरस्त कर दिया जायेगा।

नोट :– ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें परीक्षा में अनुचित साधन के उपयोग के कारण मंडल द्वारा दंडित किया गया हो/ किया जाता है तो वे अभ्यर्थी नये प्रवेश के हकदार नहीं होंगे ।

13. छात्रावास की सुविधा एवं शुल्क :

राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय यथा जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर व श्रीगंगानगर एवं महिला पॉलिटेक्निक अजमेर व बीकानेर में विद्यार्थियों हेतु छात्रावास की सीमित सुविधा उपलब्ध है । छात्रावास में प्रवेश हेतु सम्बन्धित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में उपस्थिति के समय, प्रधानाचार्य द्वारा आवंटन संबंधी कार्यवाही की जावेगी एवं प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को **सारणी–4** में दिये गये शुल्क की पहली किश्त जमा करानी होगी। द्वितीय किश्त प्रधानाचार्य द्वारा सूचित तिथियों को जमा करानी होगी ।

छात्रावास का अवधान द्रव्य व मैस अग्रिम राशि के अतिरिक्त जमा कराई गई शुल्क की राशि वापस नहीं लौटायी जायेगी ।
निजी एवं निजी सहभागिता योजना अन्तर्गत स्थापित पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में छात्रावास सुविधा की उपलब्धता व छात्रावास शुल्क के संबंध में संबंधित संस्था से सम्पर्क करें।

14. अन्य सामान्य दिशा निर्देशं :

(i) एक अच्छे विद्यार्थी के लिये आवश्यक अनुशासन, चरित्र निर्माण, नेतृत्व, उत्तरदायित्व की भावना एवं गुणों के विकास पर संस्थाओं में अधिक ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिये शारीरिक प्रशिक्षण, खेलकूद एवं अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियों में भाग लेना आवश्यक है।

(ii) यदि किसी विद्यार्थी को संस्था का अनुशासन भंग करता पाया गया अथवा उसका व्यवहार शैक्षणिक वातावरण के प्रतिकूल हो तो संस्था के प्रधानाचार्य/अधिष्ठाता को उस विद्यार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसमें प्रवेश रदद् कर संस्था से निष्कासित करना, किसी भी अवधि के लिये संस्था से निलम्बित करना, आर्थिक दंड देना या एक संस्था से दूसरी संस्थान में स्थानान्तरित करने हेतु निदेशालय को अभिशंषा करना, चरित्र प्रमाण पत्र में प्रतिकूल प्रविष्टि करना आदि सम्मिलित है ।

(iii) यदि कोई विद्यार्थी बिना पूर्व सूचना व अनुमति के संस्था से निरन्तर पन्द्रह दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम संस्था से अस्थायी रूप से काट दिया जायेगा । कक्षा से किसी भी अवधि की सामूहिक अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता की कार्यवाही मानते हुए विद्यार्थी का नाम संस्था से अस्थायी रूप से काट दिया जायेगा । ऐसे विद्यार्थी को 200/– रूपये का **पुनः प्रवेश शुल्क** जमा करवाने एवं लिखित में भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन देने पर पुनः प्रवेश, प्रधानाचार्य अपने विवेकानुसार अगले दो उप सत्र तक दे सकेंगे । परन्तु विद्यार्थी को उस उप सत्र के दौरान पुनः प्रवेश दिये जाने की स्थिति में उक्त अनुपस्थिति के कारण यदि कक्षाओं में उसकी उपस्थिति कम हो जाती है और वह विद्यार्थी परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाता है, तो विद्यार्थी स्वयं इसके लिये उत्तरदायी होंगें। इस सम्बन्ध में संस्था का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा । उपरोक्तानुसार संस्थान में पुनः प्रवेश प्रधानाचार्य द्वारा नहीं दिये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम संस्थान से स्थायी रूप से काट दिया जावेगा।

(iv) यदि कोई विद्यार्थी गलत विवरण देकर या सूचना छुपा कर या योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश के योग्य न होने पर भी किसी कारणवश प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो उक्त गलती के पता होने पर, चाहे छात्र उस समय किसी भी कक्षा में अध्ययन कर रहा हो, उसका प्रवेश रदद् कर दिया जायेगा ।

(v) प्रवेश सम्बन्धी समस्त विषयों पर संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश का निर्णय अन्तिम होगा । संयोजक को यह अधिकार है कि वह किसी भी अभ्यर्थी को बिना कोई कारण बताये प्रवेश देने से इंकार कर दे ।

(vi) प्रवेश सम्बन्धी किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार, जोधपुर शहर में स्थित न्यायालय में ही होगा अन्यत्र नहीं । विवाद बिन्दु के लिये वैधानिक कार्यवाही हेतु सम्मन एक माह के भीतर प्राप्त होना चाहिए ।

(vii) विद्यार्थी संबंधित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में पढ़ाई के वर्षों में संस्था के समय में किसी भी संस्थान में नौकरी नहीं कर सकेगा ।

(viii) विद्यार्थी पर प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर के नियमों एवं विनियमों के अन्तर्गत दिये गये उपस्थिति, परीक्षा, अगले सेमेस्टर में रजिट्रेशन आदि हेतु मण्डल के दिशा निर्देश लागू होंगे जिसकी प्रति उसे प्रवेश के समय दी जायेगी।

(ix) सीट आवंटन के पश्चात् नोडल सेन्टर पर रिपोर्ट करने तथा आंशिक शुल्क रू. 6000/– (जिसे जमा कराने का तरीका एवं तिथियां निर्धारित वेबसाईट पर उपलब्ध होगा) जमा कराने के उपरान्त भी किसी कारणवश अभ्यर्थी प्रवेश का इच्छुक नहीं रहता है, तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के नियमानुसार आंशिक शुल्क में से रू. 1000/– काट कर शेष रू. 5000/– प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने पर लौटा दिये जायेंगे तथा उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा।

(x) यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में शेष शुल्क जमा करवा कर प्रवेश ले लेता है तथा अब वह किसी कारणवश पाठ्यक्रम जारी नहीं रखना चाहता तो उसके द्वारा रिक्त रही सीट पर अन्य अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने पर ही सम्बन्धित संस्था द्वारा उसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के नियमानुसार शुल्क लौटाया जा सकेगा अन्यथा स्थिति में उसे सिर्फ अवधान द्रव्य ही लौटाया जा सकेगा।

(xi) विद्यार्थी को पाठ्यक्रम पूर्ण करने अथवा संस्थान छोड़ने के पश्चात् अवधान द्रव्य लौटाया जायेगा।

(xii) किसी भी राजकीय/निजी/निजी सहभागिता पॉलिटेक्निक के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु उनके टेलीफोन/मोबाईल नम्बर सारणी–2 में संस्थाओं के सम्मुख दर्शाये गये है।

निदेशक
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

सारणी–3 : शुल्क

क्र.सं.	मद	राजकीय संस्था के राज्य वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु छात्रों से ली जाने वाली फीस	राजकीय संस्था के राज्य वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु छात्राओं से ली जाने वाली फीस
1	2	3	
	राजकीय खाता :		
1.	प्रवेश शुल्क (मात्र प्रवेश के समय)	200	200
2.	शिक्षण शुल्क	4150*	--
	अराजकीय खाता :		
3.	अवधान द्रव्य (मात्र प्रवेश के समय)	1000	500
4.	विविध मद (परिचय पत्र, पत्रिका शुल्क, परीक्षा शुल्क, ड्राइंग शुल्क व पुस्तकालय शुल्क)	1000	1000
5.	पुस्तकालय खुली पुस्तकें (ओपन एक्सेस) शुल्क	1000	1000
6.	विद्यार्थी क्लब/विद्यार्थी सभा शुल्क	500	500
7.	खेलकूद शुल्क	500	500
8.	विकास शुल्क	4150	4150
	कुल	**रू 12500**	**रू 7850**

मद	निजी संस्था, निजी जनसहभागिता संस्था एवं राजकीय पॉलिटेक्निक के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु
4	5
शिक्षण शुल्क	20000
अवधान द्रव्य (मात्र प्रवेश के समय)	7500
विकास शुल्क	8000
कुल	**रू. 35500**

* **राजकीय पॉलिटेक्निक के इंजिनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेशित महिला/राज्य कर्मचारियों के आश्रित, जो आयकर नहीं देते/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।**

नोट :
1. प्रवेश शुल्क एवं अवधान द्रव्य के अतिरिक्त अन्य सभी शुल्क सत्र के आरम्भ व मध्य में (दो किश्तों में) लिया जावेगा।
2. उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है । अतः शुल्क में परिवर्तन किया जाता है तो तद्नुसार शुल्क जमा करवाना होगा।
3. निजी जन सहभागिता योजनान्तर्गत संचालित महिला पॉलिटेक्निक हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा।
4. राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित स्व–वित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा।
5. सीट–आवंटन पश्चात् अभ्यर्थी को उपरोक्तानुसार अंकित शुल्क में से केवल आंशिक शुल्क रू. 6000/– (जिसे जमा कराने का तरीका एवं तिथियां निर्धारित वेबसाईट पर उपलब्ध होगा) जमा करवाना होगा तथा शेष शुल्क राशि नकद के रूप में आवंटित महाविद्यालय में जमा करानी होगी।
6. अवधान द्रव्य राशि, जो पाठ्यक्रम की समाप्ति या संस्था छोड़ने पर लौटा दिये जायेंगे।
7. राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा शुल्क में परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी सूचना विभागीय वेबसाईट/नोडल सेन्टर पर उपलब्ध रहेगी, तद्नुसार अभ्यर्थी को नवीन शुल्क के अनुसार शेष शुल्क आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित तिथियों को जमा कराना होगा

सारणी –4 : छात्रावास शुल्क

क्र.सं.	मद		राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान		विद्या भवन पॉलिटेक्निक, उदयपुर	
			प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त
	1		2	3	4	5
			(क) राजकीय खाता			
1.	कमरे का किराया	सिंगल सिटेड	800	800		
		डबल सिटेड	500	500	*90	*90
		ट्रिपल सिटेड	300	300	⇔72	⇔72
			(ख) अराजकीय खाता			
2.	छात्रावास का अवधान द्रव्य		2000	–	30	–
3.	छात्रावास मैस खर्च अग्रिम धन		1000	–	–	–
4.	छात्रावास मैस सिक्यूरिटी		–	–	–	–
5.	पानी के खर्च का शुल्क		⇐	⇐	36	36
6.	बिजली के खर्च का शुल्क		⇐	⇐	वास्तविक	वास्तविक
7.	सामान्य कोष्ठ शुल्क		500	500	–	–
8.	उपकरण व बर्तनों की मरम्मत एवं खरीद शुल्क		800	800	12	12
9.	विद्या भवन, उदयपुर के विविध मद (छात्रावास प्रवेश शुल्क, छात्रावास विकास डिस्पेंसरी छात्रावास)		–	–	88	78

⇐ बिजली व पानी का शुल्क छात्रावास में स्थित मीटर के आधार पर बिल की राशि को सभी छात्रों मे समान रूप से बांटकर वसूल किया जायेगा ।

* दो छात्रों वाला कमरा

⇔ चार छात्रों वाला कमरा

नोट :– उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है। अतः जमा कराई जाने वाली फीस के सम्बन्ध में अन्तिम सूचना संबंधित प्रधानाचार्य से प्राप्त करें ।